

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर

मोहन बनाम सुरेश

प्रकरण संख्या :- 120/2024
2023

1-1

क्रम संख्या	दिनांक आका या कार्यवाही	आका विलुप्त रूप से
		<p>हुंनवार नामिण एवं अगव के दि. 09/05/2025 24/05/2025</p> <p style="text-align: right;">Bw उपखण्ड अधिकारी आमेर, जिला- जयपुर</p> <p>दि 09/5/24 को पत्रावली पेश हुई। संघ को आज कब्जोले के स्थान आने के कारण, जस्यिक कार्यवाही बंद की जा सकी। पी.ओ.सा अन्य कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 06/6/24 को पेश हो।</p> <p>06/06/2025 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित।</p> <p>अग्रार्थ 1, 3, 4 की आदि में पत्रावली अगव के बावजूद अगव रखा प्रकार पेश नहीं किया। बन्ध किया जाना है। एवम् बावजूद नामिण उपस्थित नहीं हुये। एवम् शर्यवाही अमल में लायी जाती है। मु.</p> <p>उपस्थित विराम अधिवक्तागण से मुना गथा। पत्रावली वा अमल में रिया गथा। मूल काद विमाधिन व म्धारक निर्पेक्षा शर्त।</p> <p style="text-align: right;">अभि: काद कुमारा सी</p>

R-0 Jan
03
अधिवक्ता

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर

माइन बनाम भुवरा

दिनांक :- 12/01/2023

72

नाम आदि कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
-------------------	----------------------	-------------

संभावना से मध्य नगर स्वतंत्र रूप से बंधित
दि. 10/10/2014 के अनुमान उभयपक्षों को
जायि आम्हार निषेधाग से नार्कमला कास
पाकलु बिया जाना है कि कास अधीन भूमि
के विशेष एवं मंगरा की यथाविधि बनाये
रखे आदि हा मुनाया ग. 12/1/2023 पत्रवकी केमल
दुभाए हावर इव नम्बर से बमत्रो।

Baw
उपखण्ड अधिकारी
आमेर, जिला- जयपुर